घरेलू खतरनाक अपशष्टि

प्रलिम्सि के लयि:

घरेलू खतरनाक अपशष्टि, ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम 2016।

मेन्स के लयि:

घरेलू खतरनाक अपशष्टि और इसका प्रभाव, घरेलू खतरनाक अपशष्टि के प्रबंधन की आवश्यकता, ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम 2016

चर्चा में क्यों?

मज़बूत बुनियादी ढाँचे के अभाव में अधिकांश भारतीय शहरों के लयि **घरेलू खतरनाक अपशष्टि** का पृथक्करण एक दूर का सपना बना हुआ है।

- इंदौर देश का एकमात्र शहर है जो अपने घरेलू खतरनाक अपशष्टि का सुरक्षति प्रबंधन करता है।

प्रमुख बदुि

- **परचिय:**
  - घरेलू खतरनाक अपशष्टि ऐसा कोई भी रसायन या उत्पाद है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है या यदि अनुचति तरीके से इसको संग्रहीत, परविहन या नपिटान कयिा जाता है तो यह पर्यावरण या स्वास्थ्य के लयि खतरा पैदा कर सकता है।
  - जब खतरनाक अपशष्टि को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या ज़मीन पर फेंक दयिा जाता है तो पानी और मट्टिी दूषति हो सकती है या कचरा संग्रहकर्ता को नुकसान हो सकता है।
  - खतरनाक, ज्वलनशील, ज़हर और संक्षारक लेबल वाले अधकिांश उत्पादों को खतरनाक अपशष्टि माना जाता है।
  - उदाहरण: ऑटो बैटरी, उर्वरक, बैटरी (गैर-क्षारीय), पेंट।
- **भारत में घरेलू खतरनाक अपशष्टि:**
  - वर्ष 2020 में भारतीय प्रौद्योगकिी संस्थान (IIT) दलि्ली और IIT बॉम्बे के शोधकर्त्ताओं द्वारा जहरीले भारी धातुओं व कीटनाशकों जैसे लगातार कार्बनकि संदूषकों का एक महत्त्वपूर्ण स्तर पाया गया है।
    - उन्होंने देश भर में आठ डंप साइटस् से बारीक कणों का वशि्लेषण कयिा है।
- **घरेलू कचरे को नयिंत्रति करना:**
  - घरेलू कचरा [ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016] में उल्लखिति नियमों द्वारा शासति होता है।
  - ये नियम घरेलू कचरे को सूखे और गीले कचरे में वभिाजति करते हैं।
    - गीले कचरे को किसी भी कचरे के रूप में वर्गीकृत कयिा जाता है जो स्वयं ही वघिटति या खराब हो जाता है।
    - अन्य सभी कचरा नयिमानुसार सूखे कचरे में गनिा जाता है।
- **मुद्दे:**
  - **ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016:**
    - **ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016** इसे "घरेलू स्तर पर उत्पन्न पेंट ड्रम, कीटनाशक के डब्बिे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटबल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायरड दवाएँ, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई और सीरजि एवं दूषति गेज आद" के रूप में परभिाषति करता है।
    - यह परभिाषा संपूर्ण नहीं है इसलयि व्यक्तगित घरों और स्थानीय सरकारी नकिायों जैसे कि पंचायतों और नगर पालकिाओं के लयि छोड़ दयिा जाता है।
    - उदाहरण के लयि नयिम **सगिरेट बट्स को छोड़** देते हैं, भले ही उनमें भारी धातुओं तथा अन्य रसायनों के नशिान हों।
  - **ज़मीनी स्तर पर नयिमों के क्रयिान्वयन का अभाव:**
    - नयिमों के अनुसार, परविारों को कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशष्टि जैसी श्रेणयिों में अलग करना चाहयि।
    - स्थानीय सरकारी नकिायों को घरेलू खतरनाक अपशष्टि को एकत्र करना चाहयि और/या प्रत्ति 20 कलिोमीटर की दूरी पर एक संग्रह केंद्र स्थापति करना चाहयि ताकि परविार स्वयं अपशष्टि को जमा कर सकें।
    - इसके पश्चात् स्थानीय अधकिारयिों को एकत्रति कचरे को नपिटान सुवधिाओं तक सुरक्षति रूप से पहुँचाना चाहयि। ये नयिम वर्ष

2018 तक अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और लोगों को संवेदनशील बनाने का भी निर्देश देते हैं।
    - लेकिन इनमें से किसी भी नियम को धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं किया गया है।
  - **पर्याप्त निपटान सुविधाओं की कमी:**
    - यदि अपशिष्ट एकत्र कर भी लिया जाता है, तो देश में उनके सुरक्षित निपटान के लिये पर्याप्त निपटान सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
    - एक निपटान सुविधा में आमतौर पर विशिष्ट लैंडफिल मौजूद होते हैं, जो ज़मीन में जहरीले लीचेट के रिसाव को रोकते हैं ।
    - केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी 'भारत में रसायन और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन व हैंडलिंग पर हैंडबुक' के अनुसार, वर्तमान में देश में ऐसी केवल 45 सुविधाएँ ही हैं।

आगे की राह

- खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारत खतरनाक अपशिष्ट को 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) के तहत शामिल करने पर विचार कर सकता है।
  - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों के लिये ही EPR नीति मौजूद है। कनाडा में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट वर्ष 1990 के दशक से EPR के अधीन है।
  - इस नीति ने सरकार और करदाताओं को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट संग्रह के उत्तदयित्त्व से राहत दी है।
  - एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (Extended Producer Responsibility-EPR) के तहत मैन्युफैक्चरर्स पर अपने पोस्ट-कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एकत्र करने और संचालित करने की ज़िम्मेदारी होती है।
  - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों के लिये EPR नीति है। कनाडा में, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट 1990 के दशक से ईपीआर के अधीन है।
- अधिकारियों को कचरे का सुरक्षित भंडारण और खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा के लिये परिवहन भी सुनिश्चित करना चाहिये।
  - चूँकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत नगर निगम के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे तिमाही या समय-समय पर खतरनाक कचरे को इकट्ठा करें और/या ऐसे जमा केंद्र स्थापित करें जहाँ ऐसे अपशिष्ट को पैदा करने वालों द्वारा छोड़ा जा सके।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/domestic-hazardous-waste